सं0-11013/07/2021-समिति-6

संसदीय राजभाषा समिति

11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110011

दिनांक:..07.../..10.../2021

विषय: संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय में हिंदी अधिकारी के नि:संवर्गीय पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना ।

समिति सचिवालय में हिंदी अधिकारी के नि:संवर्गीय पद के लिए उपयुक्त कर्मचारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपेक्षित हैं।

2. उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन जो अनुबंध-। के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं/अर्हताएं रखते हों, अनुबंध-।। व ।।। में निर्धारित प्रोफ़ार्मो में भरकर भेजे जाएं। उक्त पदों के लिए स्वेच्छा से अपना नाम देने वाले कार्मिकों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन पदों का वेतनमान व शर्ते अनुबंध-1 में दी गई है।

3. अनुरोध है ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो संबंधित पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए इच्छुक हो तथा अपेक्षित योग्यताएं एवं शर्तों को पूरा करते हों व जिनका चयन हो जाने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो, उनके आवेदन "रोजगार समाचार-पत्र" में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि के 60 दिन के अंदर सचिव (समिति), संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110011 को अवश्य भेज दिये जाएं। आवेदन-पत्र पूर्णतया भरे जाने के बाद गोपनीय रिपोर्टों के साथ भेजे जाने चाहिए। अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्रों को भेजने से पूर्व उनमें दिए गए विवरणों की अच्छी तरह से जांच कर ली जाए कि अभ्यर्थी पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। अंतिम तिथि के बाद अथवा बिना गोपनीय रिपोर्ट के साथ प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि आवेदक के विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक मामला लंबित अथवा परिकल्पित नहीं है तथा पिछले पांच वर्षों में कोई शास्ति (पेनल्टी) नहीं लगाई गई है। प्रतिनियुक्ति के दौरान संबंधित अधिकारी कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के दिनांक 17-06-2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.बी.-6/8/2009-स्था0(वेतन-2) (यथा-संशोधित) में दी गई प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह भी अनुरोध है कि वे इस पद कि रिक्ति की सूचना अपने सभी सम्बद्ध/अधिनस्थ कार्यालयों को भी दें।

7/10/21

(धर्मराज खटीक)
सचिव (समिति)
दूरभाष 011-21411492

भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग

अनुबंध-I

क्रं सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	योग्यता की शर्तें प्रतिनियुक्ति पर स्थानातंरण
1.	हिंदी अधिकारी	01	₹6500-200-10500/- **(संशोधन से पूर्व)** **लेवल-8** (7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के आठवें स्तर में) (6वें वेतन आयोग पीबी-2 रू.9300-34800/- ग्रेड पे-4800)	**प्रतिनियुक्ति** केंद्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; **या** (ii) जिन्होंने ₹5500-9000 के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष की नियिमत सेवा की है; **या** (iii) जिन्होंने ₹5000-8000 के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छः वर्ष की नियिमत सेवा की है; **या** (iv) जिन्होंने ₹4500-7000 के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष की नियिमत सेवा की है **और** (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य **और** (2) जिनके पास सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तीन वर्ष का अनुभव है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

*संशोधित वेतनमान 7वे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर है।

(हस्ताक्षर)

अनुबंध - II

आवेदन पत्र का प्रारूप

1 नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) मोबाइल नं. ईमेल आईडी	
2 जन्म तिथि (ईसवी सन में)	
3 (I) सेवा में आने की तारीख (II) केंद्र/राज्य सरकारी नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4 शैक्षिक योग्यताएं	
5 क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समरूप मानी गई हो तो उसके प्रमाण का उल्लेख करें)	
विज्ञापित/रिक्ति परिपत्र में यथाउल्लिखित अर्हता/अनुभव आवश्यक: क) अर्हता ख) अनुभव	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हता/अनुभव आवश्यक: क) अर्हता ख) अनुभव
वांछनीय: क) अर्हता ख) अनुभव	वांछनीय: क) अर्हता ख) अनुभव
क) 5.1 टिप्पणी : परिपत्र/रोजगार में विज्ञापन जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथाउल्लिखित आवश्यक और वांछित अर्हताओं को प्रदशित करने के लिए इस कॉलम को प्रवधित करने की आवश्यकता है। 5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में आवेदक के ऐच्छिक/मुख्य विषयों तथा सहायक विषयों को निर्दिष्ट करना होगा।	

6 ऊपर डी गई प्रविष्टियों के आलोक में कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आप पद के लिए आवश्यक अर्हताएं और कार्य का अनुभव रखते हैं।	

6.1 टिप्पणी: आवेदित पद के संदर्भ में आवेदक द्वारा धारित सबंद्ध आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव (जीवनवृत में यथानिर्दिष्ट) की पुष्टि करते हुए आपूर्तिकर्ता विभागों को अपनी विशेष टिप्पणी/दृष्टिकोण उपलब्ध कराने होंगे)

7 अवधिवार रोजगार के ब्यौरे यदि नीचे स्थान पर्याप्त न हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अलग सीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	कार्य का स्वरूप (विस्तृत रूप में) जिसमें आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव को विशिष्टता से दर्शाया गया है।

* महत्वपूर्ण : एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए/ वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी के ब्यौरे का निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाए जहां आवेदक द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों:

कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

8 वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात तदर्य अथवा अस्थायी अथवा अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी	
9 प्रतिनियुक्ति//अनुबंध आधार पर धारित वर्तमान रोजगार के मामले में कृपया उल्लेख करें	

(क) प्रारंभिक नियुक्ति की	(ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि	(ग) आव्द्थक का मूल कार्यालय/संगठन	(घ) मूल संगठन में वास्तविक सामथर्य मथर्यमें धारित पद का नाम और वेतन

9.1 टिप्पणी: पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में ऐसे अधिकारियों के आवेदन उनके मूल कैडर/विभाग द्वारा संवर्ग अनपति, सतर्कता अनापति और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किए जाने चाहिए। 9.2 टिप्पणी : ऊपर कॉलम 9 (ग) और 9 (घ) के तहत सूचना उन सभी मामलों में दी जाए जहां कोई आवेदक कैडर/संगठन से इतर प्रतिनियुक्ति पर पद धरण कर रहा है परंतु अपने मूल कैडर/संगठन में अभी भी ग्रहणाधिकार पर है।	
10 आवेदक द्वारा पूर्व में यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया है तो पिछ्ली प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तारीख और अन्य ब्यौरे	
11 वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया उल्लेख करें - निम्नलिखित के अंतर्गत कार्यरत है: (संबद्ध कॉलम में अपने नियोक्ता का नाम निर्दिष्ट करें) (क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ड़) विश्वविद्यालय (च) अन्य	
12 कृपया उल्लेख करें : क्या आप उसी विभाग में और फीडर ग्रेड अथवा फीडर के फीडर में कार्यरत हैं	
13 क्या आप वेतन के संशोधित वेतनमान में हैं। यदि हां, तो संशोधन की तारीख और संशोधन पूर्व वेतनमान का उल्लेख करें।	
14 प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां	

वेतनबैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

15 यदि आवेदक ऐसे संगठन का सदस्य है जो केंद्र सरकार में लागू वेतनमान का अनुसरण नहीं करता तो संगठन द्वारा जारी निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाने वाली अद्यतन वेतन पर्ची संलग्न की जाए।

वेतनमान और वृद्धि दर सहित मूल वेतन	महंगाई भत्ता/अन्तरिम सहायता/अन्य भत्ते आदि (अलग-अलग ब्यौरों के साथ)	कुल परिलब्धियां

16 (क) आवेदित पद के संबंध में, पद हेतु आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो। (इसके अलावा (1) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (2) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (3) रिक्ति परिपत्र/ विज्ञापन में निर्धारित अतिरिक्त कार्य अनुभव, के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है।) (टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर अलग शीट संलग्न करें)	
16 (ख) उपलब्धियां :- उम्मीदवार कृपया निम्नलिखित के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं:- (I) अनुसंधान प्रकशन और रिपोर्ट्स तथा विशेष प्रोजेक्ट्स (II) पुरस्कार/छात्रवृति/आधिकारिक प्रशस्ति (III) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं समितियों से संबंधन और (IV) अपने नाम से पंजीकृत अथवा संगठन के लिए प्राप्त पेटेंट्स (V) कोई अनुसंधान/अभिनव मानदंड जिसे आधिकारिक पहचान मिली हो (VI) कोई अन्य सूचना (टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर कृपया अलग शीट संलग्न करें)	
17 कृपया उल्लेख करें कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) विलयन/पुन: रोजगार आधार # पर आवेदन कर रहे हैं	

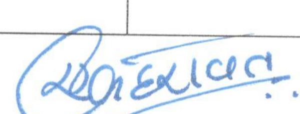

(केंद्र/राज्य सरकार के अधीन अधिकारी ही केवल "विलयन" के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठन के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र हैं # "एसटीसी"/ "विलयन"/ पुन: रोजगार का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्ति परीपरत्र में "एसटीसी" अथवा "विलयन" अथवा "पुन: रोजगार" द्वारा भर्ती का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया हो।	
18 क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कि श्रेणी में आते हैं।	

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवश्यक योग्यता / कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समथित मेरे जीवनवृत में प्रस्तुत सूचना का पद के लिए चयन के समय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदत्त सूचना / ब्यौरे मेरी पूरी जानकारी में ठीक और सत्य हैं तथा मेरे चयन को प्रभावित करने वाले किसी विषय को छुपाया/ रोका नहीं गया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता:- ....

ईमेल सहित ....

दिनांक

स्थान

अनुबंध-III

नियोक्ता/ संवर्ग नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं। ब्यौरे सत्य और ठीक है। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते/ रखती है। चयन होने की स्थिति में उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया गया।

2. ये भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

(i) श्री/श्रीमती .... के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला लंबित/ विचारणीय नहीं है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कि जाती है।

(iii) उनकी सत्यनिष्ठा रिपोर्ट मिसिल (सीआर डोजियर) की मूल प्रति संलग्न की जाती है। भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के पद के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की छाया प्रतियां संलग्न की जाती हैं।

(iv) पिछले वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/ छोटी शास्ति आरोपित नहीं की गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/ छोटी शास्ति की सूची संलग्न की गई है। जैसा भी मामला हो)

प्रति हस्ताक्षरित

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी मुहर सहित)